1. राजस्व अपील सं0 270/2017–तुलछी देवी के वारिसान बनाम चन्द्रसिंह वगैरा
2. राजस्व अपील सं0 271/2017–तुलछी देवी के वारिसान बनाम चैनाराम वगैरा
3. राजस्व अपील सं0 272/2017–तुलछी देवी के वारिसान बनाम गिरधरसिंह वगैरा

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 270/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. तुलछी देवी पत्नी स्व0 लादूराम के वारिसान – 1/1 पेमाराम पुत्र लादूराम 1/2 कुम्भाराम पुत्र लादूराम 1/3 अचलाराम पुत्र पीथाराम 1/4 गोमी देवी पत्नी पीथाराम जति जाट, निवासी जाटों की ढाणी, मडला कलां, तह0 व जिला फलौदी,		1. चन्द्रसिंह पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम शिवनगर भेड, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर 2. ग्राम पंचायत भेड, जरिये सरपंच तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 11.07.2016 राजस्व अपील स0 13/2012 अनवान तुलछीदेवी बनाम चन्द्रसिंह, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 59 दिनांक 15.06.1971 ग्रा0पं0 भेड़

उपस्थित–
1. श्री सांगाराम चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री घेवरराम रेस्पो0 सं0 1

राजस्व अपील संख्या 271/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. तुलछी देवी पत्नी स्व0 लादूराम पुत्री के वारिसान – 1/1 पेमाराम पुत्र लादूराम 1/2 कुम्भाराम पुत्र लादूराम 1/3 अचलाराम पुत्र पीथाराम 1/4 गोमी देवी पत्नी पीथाराम जति जाट, निवासी जाटों की ढाणी, मडला कलां, तह0 व जिला फलौदी		1. चैनाराम पुत्र स्व0 धूडाराम जाति जाट–धतरवाल, निवासी ग्राम चांदसमा, तहसील शेरगढ, जोधपुर 2. मांगीलाल पुत्र पताराम जाट निवासी ग्राम चेराई, तह0 ओसियां, जिला जोधपुर 3. ताजाराम पुत्र गंगाराम जाट निवासी चेराई, तह0 ओसियां जोधपुर 4. पारू पत्नी राणाराम पुत्री गंगाराम जाट, निवासी ग्राम नाथडाउ, पं0स0 बालेसर, तह0 शेरगढ, जिला जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

1. राजस्व अपील सं0 270/2017–तुलछी देवी के वारिसान बनाम चन्द्रसिंह वगैरा
2. राजस्व अपील सं0 271/2017–तुलछी देवी के वारिसान बनाम चैनाराम वगैरा
3. राजस्व अपील सं0 272/2017–तुलछी देवी के वारिसान बनाम गिरधरसिंह वगैरा

5. बरजु पत्नी उदाराम, पुत्री गंगाराम जाट, निवासी बैरडो का बास, तह0 ओसियां, जिला जोधपुर
6. ग्राम पंचायत भेड, जरिये सरपंच तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 11.07.2016 राजस्व अपील स0 14/2012 अनवान तुलछीदेवी बनाम चैनाराम, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 37 दिनांक 25.03.1966 ग्रा0पं0 भेड़

उपस्थित–
1. श्री सांगाराम चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री घेवरराम रेस्पो0 सं0 2 से 5

राजस्व अपील संख्या 272/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. तुलछी देवी पत्नी स्व0 लादूराम पुत्री के वारिसान – 1/1 पेमाराम पुत्र लादूराम 1/2 कुम्भाराम पुत्र लादूराम 1/3 अचलाराम पुत्र पीथाराम 1/4 गोमी देवी पत्नी पीथाराम जति जाट, निवासी जाटों की ढाणी, मडला कलां, तह0 व जिला फलौदी,		1. गिरधरसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत निवासी ग्राम शिवनगर, भेड, तहसील ओसिया, जिला जोधपुर 3. रेवतसिंह पुत्र हीरसिंह के का0मु0– 2/1 हरिसिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत निवासी ग्राम शिवनगर, भेड, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2/2 ओमसिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत ग्राम शिवनगर, भेड तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2/3 मुल्तानसिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत निवासी ग्राम शिवनगर, भेड, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2/4 नेपालसिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत निवासी ग्राम शिवनगर, भेड, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 2/5 सुपी कंवर पत्नी स्व0 रेवतसिंह राजपूत निवासी ग्राम शिवनगर, भेड, तहसील ओसियां, जोधपुर 2/6 निम्ब कंवर पत्नी प्रेमसिंह पुत्री स्व0 रेवतसिंह राजपूत, निवासी ग्राम बिजवाडिया, तह0 तिंवरी, जिला जोधपुर 2/7 शोभा कंवर पत्न चनणसिंह पुत्री

स्व0 रेवतसिंह राजपूत, निवासी ग्राम चामु तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
2/8 दुर्गा कंवर पुत्री स्व0 रेवतसिंह राजपूत निवासी ग्राम शिवनगर भेड, तहसील ओसियां, जोधपुर
3. ग्राम पंचायत भेड, जरिये सरपंच तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसियां दिनांक 11.07.2016 राजस्व अपील स0 31/2012 अनवान तुलछीदेवी बनाम चन्द्रसिंह, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 88 दिनांक 12.12.1976 ग्रा0पं0 भेड़

उपस्थित–
1. श्री सांगाराम चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री घेवरराम रेस्पो0 सं0 1 व 2/1 से 2/3 तथा 2/5 व 2/8

निर्णय

दिनांक 06.11.2024

उपरोक्त तीनों अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने से तीनों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उक्त अपीलें राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रथम अपील सं0 13/2012, 14/2012 एवं 31/2012 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध क्रमशः प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष–अपीलांट–तुलछीदेवी ने राजस्व प्रथम अपीलें इस आशय से प्रस्तुत की गई, कि तहसील ओसियां स्थित राजस्व ग्राम भाखरी के ख0नं0 40 रकबा 203.16 बीघा व ख0नं0 39 रकबा 0.14 बिस्वा की भूमि अपीलांट के पिता का संवत् 1999 में स्वर्गवास होने पर उसकी माता झीमा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। झीमा का स्वर्गवास संवत् 2029 में होने पर इनकी प्रथम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

श्रेणी की वारिसान 3 पुत्रियां तुलसी, भूरी व अणची के बजाय रेस्पो0सं0 1–चैनाराम पुत्र धुडाराम द्वारा आपसी मिलीभगत से झीमा पत्नी पन्नाराम का गोद पुत्र बताते हुए ग्रा0पं0 भेड़ द्वारा अपने नाम ना0क0सं0 37 दिनांक 25.3.1966 स्वीकृत करवा लिया गया। तत्पश्चात चैनाराम द्वारा वादग्रस्त ख0नं0 40 में से 100 बीघा भूमि का बेचान के आधार पर चन्द्रसिंह पुत्र उगमसिंह के नाम ना0क0सं0 59 दिनांक 15.06.1971 ग्रा0पं0 भेड़ द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसमें से चन्द्रसिंह द्वारा 50 बीघा भूमि का आगे बेचान गिरधरसिंह व रेवतसिंह पिता हीरसिंह को करने पर ना0क0सं0 88 दिनांक 12.12.1976 ग्रा0पं0 भेड़ द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत नामान्तरकरणों के विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 3 अलग–अलग अपीलें क्रमशः 14/2012, 13/2012 एवं 31/2012 पेश की गई। जो सभी अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2016 के द्वारा मियाद बिन्दु पर खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधि0 की धारा 76 के तहत उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भाखरी के ख0नं0 40 रकबा 203.16 बीघा व ख0नं0 39 रकबा 0.14 बिस्वा की भूमि अपीलांट के पिता का संवत् 1999 में स्वर्गवास होने पर उसकी माता झीमा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। झीमा का स्वर्गवास संवत् 2029 में होने पर इनकी प्रथम श्रेणी वारिसान 3 पुत्रियां–तुलसी, भूरी व अणची की बजाय रेस्पो0सं0 1–चैनाराम पुत्र धुडाराम द्वारा आपसी मिलीभगत से झीमा पत्नी पन्नाराम का गोद पुत्र (खोले) बताते हुए ग्रा0पं0 भेड़ द्वारा अपने नाम ना0क0सं0 37 दिनांक 25.3.1966 स्वीकृत करवा लिया गया तथा इसमें आगे से आगे हुए बेचान के आधार पर ना0क0सं0 59 एवं 88 स्वीकृत हुए। जबकि झीमा की मृत्यु के बाद फौतेदगी ना0क0 ग्रा0पं0 द्वारा उसके प्रथम श्रेणी की वारिसान तुलछी, भूरी व अणची के नाम कानूनन स्वीकृत किया चाहिए था। चैनाराम को अपीलांट्स की माता ने कभी गोद (खोले) नही लिया। चैनाराम ग्राम चांदसमा तहसील शेरगढ में रहने वाला था

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

व चेनाराम के पिता का नाम धुडाराम था। उसकी कृषि भूमि चांदसमा में स्थित है, जो धूडाराम के फौत होने बहैसियत पुत्र चैनाराम के नाम दर्ज हुई। इसके अलावा धूडाराम के भाई खेताराम की मृत्यु के बाद चैनाराम ने स्वयं को खेताराम का पुत्र बताते हुए खेताराम के नाम दर्ज भूमि का ना0क0 भी अपने नाम पारित करवा लिया गया। चैनाराम की शुरू से ही अपीलांट की माता की भूमि हडपने की नीयत रही है व झीमा की मृत्यु के बाद आपसी मिलीभगत से ना0क0सं0 37 अपने नाम पारित करवा लिया गया। उक्त ना0क0 प्रारम्भ से ही शून्य होने से प्रभाव शून्य है तथा इसके पश्चात उत्तरोत्तर बेचाननामे के आधार पर पारित ना0क0सं0 59 एवं 88 भी स्वतः प्रभाव शून्य होने से, ये सभी निरस्त योग्य है। मौके पर अपीलांट्स कब्जाकाश्त है। दिनांक 16.5.12 को इसकी प्रथम जानकारी होने पर अपीलांट्स ने नकलें प्राप्त कर, जानकारी से अन्दर मियाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सूचित किए बिना केम्प कोर्ट–ग्रा0पं0 भेड में ले जाकर, मियाद बिन्दु पर ही खारिज कर दिया गया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, इन्हें अंदर मियाद शुमार करते हुए गुणावगुण पर निर्णित कराने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट्स ने अपने कथनों के समर्थन में सूचीबद्ध न्यायिक दृष्टांत एवं फार्म नं0 3 के संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0 अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांट–तुलछीदेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर व मिथ्या तथ्यों पर आधारित अपीलें प्रस्तुत की गई थी। जो मियाद बिन्दु पर खारिज योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। वस्तुतः वादग्रस्त खसरान की भूमि का सेटलमेंट अजाराम पुत्र पीराराम जाट के नाम हुआ था। अजाराम का देहांत होने पर जरिये ना0क0सं0 23 दिनांक 27.7.67 झीमो बेवा पन्नाराम के नाम दर्ज हुआ। झीमों बेवा पन्नाराम द्वारा अपने जीवन काल में वादग्रस्त खसरा भूमि का रेस्पो0सं0 1–चैनाराम के पक्ष में बक्शीशनामा निष्पादित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया था एवं इस बक्शीशनामा के अनुसार ना0क0सं0 37 चैनाराम के नाम दर्ज हुआ व इसमें से उत्तरोत्तर बेचान किये गये। अपीलांट को इसकी जानकारी शुरूवात से ही थी। उसके द्वारा मियाद अधिनियम के तहत धारा 05 का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत किये गये। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र विलंब के ठोस कारणों के अभाव में, उक्त अपीलें मियाद बिन्दु पर खारिज कर दी गई। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों व निर्णय नजीरों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है –

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलों का निस्तारण केम्प कोट–रा.उ.प्रा.वि. पल्ली फाटा में किया गया है। वकील अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरणों को केम्प कोट में सुनवाई हेतु ले जाने से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पो0 अधिवक्ताओं को इसकी सूचना नही दी गई। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.7.16 (आदेशिका) में भी पक्षकारों की उपस्थित अथवा अनुपस्थिति का कोई उल्लेख नही किया हुआ है। इस कारण अपीलाधीन आदेश बिना सुनवाई के पारित होने से न्यायसंगत नही कहा जा सकता है।
2. वकील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में चस्पा होते है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार जहां प्रकरण गुणावगुण पर सारवान पाये जाते है, वहां मियाद बिन्दु को गौण समझा जाना चाहिए। विचाराधीन प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में यह चूक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

हुई है। इस कारण अपीलाधीन प्रकरणों में विलंब को क्षमा करते हुए अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम को इस स्तर पर स्वीकार किया जाकर, प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व प्रथम अपील संख्या 13/2012, 14/2012 एवं 31/2012 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2016 को अपास्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, न्यायहित में गुणावगुण पर विधिसम्मतः निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 06 .11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

06.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर